

16.6.22

पत्तावली पेश हुई। क्योंकि मद्रास सरकार अनुपासिक
वादी व वादी कमील एवं प्रतिवादी को न्यायालय
समक्ष लाने का आदेश जारी किया है। लेकिन
कोई उपासीत नहीं हुई। और वादी प्रमाण अभाव
के प्रतिवादी को तामील हेतु तलवाला नोटिस
पेश किया है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 ग. रो. रो.
प्रतिवादी को वास्ते तामील तलवाला नोटिस प्रमाण
अभाव दिने जाने पर भी पेश नहीं किया गया है.
के अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 मिसम 05 के
तहत खारिज किया जाता है पत्तावली के सल सुमार
दोस्त मन्वर से काम होना दोषित दफ्तर हो
शिम लुले न्यायालय में सुनार गमा

उपरवर्त अधिकारी
सॉमर लेटर

